	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 18, सोमवार, शाके 1942–जून 8, 2020 *Jyaistha 18, Monday, Saka 1942–June 8, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 05, 2020

संख्या प.1(3)न्याय/2010 :-जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र को दो भागो में विभाजित करने के परिणामस्वरूप, इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.2(5)न्याय/96 दिनांक 05.11.1996 में आंशिक संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, जयपुर महानगर में स्थित् विशेष न्यायालय (जाली नोट प्रकरण), जयपुर का नाम परिवर्तित् करते हुए न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, (जाली नोट प्रकरण), जयपुर महानगर (प्रथम) निर्धारित् करती है एवं उक्त न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र पूर्व अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

3394

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।